128182/2023

उत्तराखण्ड शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
संख्याः 919 / xxxi/(15)G/2023-41(सा0) / 2018
देहरादूनः दिनांक 07 जून 2023

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार

(श्रेणी–III :उत्तराखण्ड सचिवालय, उत्तराखण्ड विधानसभा सचिवालय, उत्तराखण्ड राज्यपाल सचिवालय)

दिशा–निर्देश

1. उद्देश्य– किसी संस्थान में नियोक्ता द्वारा अच्छे कार्य की पहचान एक महत्वपूर्ण प्रेरक होता है। यह न केवल पुरस्कार विजेता का मनोबल बढ़ाता है, बल्कि प्रतिष्ठान के अन्य सदस्यों को भी अपने कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए प्रेरित करता है। उत्तराखण्ड राज्य के शीर्ष संस्थान– उत्तराखण्ड सचिवालय, विधानसभा सचिवालय, राज्यपाल सचिवालय राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका के मस्तिष्क के रूप में कार्य करते हैं। यह पुरस्कार इन संस्थानों में बेहतर कार्य संस्कृति को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए हैं।

2. पात्रता –

(i) उत्तराखण्ड सचिवालय, उत्तराखण्ड विधानसभा सचिवालय और उत्तराखण्ड राज्यपाल सचिवालय के सभी नियमित अधिकारी / कर्मचारी आवेदन करने के पात्र हैं। इसमें सचिवालय सेवा संवर्ग, निजी सचिव संवर्ग, राज्य सिविल सेवा के अधिकारीगण, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारीगण तथा अन्य सभी अधिकारी / कर्मचारीगण जो उपरोक्त वर्णित तीनों सचिवालय के दैनिक क्रियाकलाप से सीधे तौर पर जुड़े हैं, सभी नियमित कार्मिक व्यक्तिगत रूप से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(ii) राज्य योजना आयोग, राज्य वित्त आयोग, समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ और अन्य कार्यालय जो उत्तराखण्ड सचिवालय के कार्य संचालन से सीधे जुड़े हैं और उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर में स्थित हैं, के ऐसे कार्मिक जो आवेदन की पात्रता के मापदण्ड पूरा करते हैं, भी आवेदन करने के पात्र होंगे। समन्वित गतिविधियों के लिए अंतर विभागीय संयुक्त नामांकन भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

(iii) जिन कार्मिकों को विगत 03 वर्षों में "मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार" के किसी भी श्रेणी में एक बार पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वह पुरस्कार प्राप्ति के वर्ष के बाद के 03 वर्षों तक आवेदन के पात्र नहीं होंगें। यदि इस प्रकार के कार्मिकों द्वारा आवेदन किया जाता है तो उसे संज्ञान में नहीं लिया जायेगा तथा आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

(iv) जिन कार्मिकों को विगत 03 वर्षों में "मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार" के

किसी भी श्रेणी में दो या दो से अधिक बार पुरस्कार प्राप्त हुआ है, वह पुरस्कार प्राप्ति के वर्ष के बाद के 05 वर्षों तक आवेदन के पात्र नहीं होंगें। यदि इस प्रकार के कार्मिकों द्वारा आवेदन किया जाता है तो उसे संज्ञान में नहीं लिया जायेगा तथा आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

3. कार्मिकों द्वारा पुरस्कार हेतु आवेदन किया जाना–

(i) सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी अपने नियन्त्रक अधिकारी/प्राधिकारी की संस्तुति तथा आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को सत्यापित/प्रमाणित कराते हुए संलग्न प्रारूप पर स्पष्ट एवं पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को अथवा सामान्य प्रशासन अनुभाग, कक्ष नं0– 116, प्रथम तल, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भवन, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून को प्रेषित किया जाना चाहिए। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि शासन द्वारा नियत की जायेगी। निर्धारित तिथि/समय के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नही किया जायेगा।

(ii) आवेदन पत्र ई–मेल द्वारा **gadukgovt@gmail.com** पर अथवा व्यक्तिगत रूप से/डाक/कोरियर अथवा किसी भी अन्य माध्यम से प्रेषित किया जा सकता हैं।

(iii) किसी भी अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यरत किसी भी उत्कृष्ट कोटि के कार्मिक के पक्ष में, इस पुरस्कार हेतु आवेदन किया जा सकता हैं।

4. मूल्यांकन किये जाने वाले कार्य की समयावधि–

विगत वित्तीय वर्ष की अवधि के बीच किये गये कार्यो को मूल्यांकन हेतु शामिल किया जा सकता हैं। विगत 03 वर्षो के अन्तर्गत किये गए किसी ऐसे अभिनव कार्यो के लिए की गयी पहल को भी इस हेतु शामिल किया जा सकता हैं, यदि वह विगत वित्तीय वर्ष में भी कियान्वित हो रहा हों।

5. प्राप्त आवेदन पत्रों का विवरण तैयार किया जाना–

(i) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए इनका संक्षिप्त विवरण तैयार किया जायेगा। देर से प्राप्त होने वाले तथा अन्य कारणों से अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदनों का पृथक से विवरण तैयार किया जाएगा।

(ii) उपरोक्तानुसार तैयार किया गया समस्त विवरण मूल्यांकन हेतु गठित स्वतन्त्र विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ।

6. प्राप्त आवेदन पत्रों के मूल्यांकन हेतु स्वतन्त्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाना–

(i) मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार हेतु समस्त श्रेणी में प्राप्त आवेदनपत्रों/प्रस्तावों/PPT के परीक्षण तथा मूल्यांकन हेतु स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। इस समिति में एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होंगे। समिति का गठन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के अनुरोध/प्रस्ताव पर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की संस्तुति पर, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जायेगा।

(ii) राजकीय/शासकीय सेवा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी इस स्वतन्त्र विशेषज्ञ

समिति के सदस्य नहीं हो सकेंगे किन्तु सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारीगण इस समिति के सदस्य हो सकेंगे, भले ही सेवानिवृत्ति के उपरान्त वह किसी पद पर कार्यरत हों।

(iii) मूल्यांकन हेतु गठित स्वतन्त्र विशेषज्ञ समिति के सभी सदस्यों को मूल्यांकन कार्य हेतु पृथक–पृथक, एकमुश्त धनराशि रू0 दस–दस हजार रूपये मात्र मानदेय के रूप में प्रदान किया जाएगा।

7. मूल्यांकन हेतु मापदण्ड–

निम्नलिखित मापदण्डों के आधार पर प्राप्त आवेदन पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा–

(i) हितधारकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कियान्वित किया गया अभिनव योजना/विचार/परियोजना आदि।

(ii) प्रक्रियाओं/प्रणालियों/संस्थाओं के निर्माण में जनसाधारण द्वारा महसूस किया जा सकने वाला सुधार लाना अथवा ऐसे कार्य किया जाना जिससे जनसाधारण का कार्य अत्यधिक आसान हो रहा हो तथा व्यापक पैमाने पर अन्य सम्बंधित द्वारा इसे अपनाया जा रहा हो।

(iii) राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/केन्द्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं/सार्वजनिक वितरण प्रणाली/अन्य योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन हेतु आधुनिक तकनीक का प्रयोग/IT का प्रयोग जिससे कार्य में अत्यधिक आसानी हुई हो तथा जिम्मेदार, पारदर्शी और दक्ष व्यवस्था स्थापित हुई हो।

(iv) आकस्मिक परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूस्खलन, भूकम्प, बाढ़ के लिए पूर्व तैयारी और उच्च कोटि का कार्य प्रदर्शन।

(v) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं या अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के क्रियान्वयन में उत्कृष्ट कोटि का प्रदर्शन, जिसकी सर्वत्र सराहना हुई हो/जिसका जनसामान्य को उल्लेखनीय लाभ हुआ हो/हो रहा हो।

(vi) राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/विभाग/उपक्रम/निगम अथवा किसी भी राजकीय कार्यालय की आय बढ़ाने हेत उल्लेखनीय कार्य जिससे कर संग्रहण में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हुई हो/करापवंचन रोके जाने हेतु उल्लेखनीय कार्य किया गया हो।

8. चयन प्रक्रिया–

(i) इस पुरस्कार की तीनों श्रेणियों हेतु प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों/प्रस्तावों/PPT के परीक्षण/ मूल्यांकन हेतु सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वतन्त्र विशेषज्ञ समिति के सदस्यों से पत्र/दूरभाष द्वारा संपर्क करते हुए उन्हें प्राप्त आवेदन पत्रों की स्थिति से अवगत कराते हुए समिति से तिथि/समय नियत कराया जाएगा।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार के अंतर्गत प्राप्त सभी आवेदन पत्र, विभिन्न कारणों से अस्वीकृत किया जाने हेतु प्रस्तावित आवेदन पत्रों तथा सभी प्रकार के आवेदन पत्रों का संक्षिप्त विवरण, शासन द्वारा गठित स्वतन्त्र

विशेषज्ञ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) स्वतन्त्र विशेषज्ञ समिति द्वारा नियत तिथि/समय/स्थान पर तीनों श्रेणियों के आवेदकों द्वारा अपने आवेदन/प्रस्ताव के समर्थन में Power Point Presentation के माध्यम से/किसी भी सुविधाजनक माध्यम से Online/Offline माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

(iv) समिति द्वारा तीनों श्रेणियोंके समस्त आवेदकों द्वारा प्रस्तुत समस्त तथ्यों/प्रस्तावों/PPT आदि का परीक्षण/मूल्यांकन किया जाएगा तथा समस्त तथ्यों को संज्ञान में लेते हुए/समग्र रूप से मूल्यांकन करते हुए मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार, श्रेणी –I (व्यक्तिगत श्रेणी) हेतु अधिकतम 5, श्रेणी – II (सामूहिक श्रेणी) हेतु अधिकतम 3 (किसी एक समूह में ग्रुप लीडर सहित अधिकतम 3 सदस्य) तथा श्रेणी–III (उत्तराखण्ड सचिवालय, विधान सभा सचिवालय तथा राज्यपाल सचिवालय के कार्मिकों हेतु) अधिकतम 5 पुरस्कार हेतु संस्तुति की जायेगी तथा बंद लिफाफे में अपनी संस्तुति मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी।

9. **पुरस्कार हेतु संस्तुत अधिकारियों/कर्मचारियों के बारे में शासन द्वारा विचार–विमर्श–**

(i) मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में शासन स्तर पर एक समिति गठित की जायेगी जिसमें सदस्य के रूप में अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, पुरस्कार हेतु संस्तुत अधिकारियों के विभागीय सचिव होगें तथा सदस्य सचिव के रूप में सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग होंगे।

(ii) शासन स्तर पर गठित यह समिति, स्वतंत्र विषेशज्ञ समिति द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किये जाने हेतु की गयी संस्तुति के क्रम में मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार हेतु संस्तुत अधिकारियों के बारे में समग्र दृष्टि से विचार किया जाएगा तथा इनका कार्य, आचरण, व्यवहार, कर्तव्यनिष्ठा, आम छवि आदि को संज्ञान में लेते हुए इस पुरस्कार हेत पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों का चयन किया जाएगा।

10. **सतर्कता विभाग से संस्तुति प्राप्त किया जाना–**

इस पुरस्कार हेतु शासन स्तर पर गठित समिति के द्वारा चयनित अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण सतर्कता विभाग को प्रेषित करते हुए सतर्कता विभाग से इस हेतु चयनित अधिकारियों/कर्मचारियों के बारें में उनका अभिमत/मन्तव्य/सहमति प्राप्त किया जाएगा।

11. **माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाना–**

शासन स्तर तथा सतर्कता विभाग से सहमति प्राप्त होने के उपरान्त मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार हेतु संस्तुत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रेषित करते हुए मा0 मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। इसके उपरान्त कार्यालय ज्ञाप के माध्यम से पुरस्कार प्राप्त करने वाले

अधिकारियों / कर्मचारियों का विवरण सार्वजनिक किया जाएगा।

12. पुरस्कार के रूप में प्रदान की जाने वाली सामग्री–

इस पुरस्कार हेतु चयनित अधिकारियों / कर्मचारियों को माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से एक प्रशस्ति पत्र तथा एक ट्रॉफी प्रदान की जायेगी।

13. बजट की व्यवस्था–

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस पुरस्कार पर आने वाले समस्त प्रकार के व्यय की व्यवस्था कराई जायेगी तथा तदनुसार बजट प्रावधान कराया जायेगा।

14. पुरस्कार प्रदान किया जाना –

माननीय मुख्यमंत्री जी की सुविधानुसार सुशासन दिवस के अवसर पर अथवा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नियत तिथि / समय पर यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

15. दिशा निर्देश में संशोधन–

मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार हेतु जारी दिशा निर्देश सुविधा की दृष्टि से बनाये गए है तथा यह दिशा निर्देश आगामी वर्षो में भी तब तक प्रभावी रहेंगें जब तक इन्हें परिवर्तित / परिवर्द्धित / संशोधित नही कर दिया जाता हैं।

भविष्य में आवश्यकतानुसार शासन द्वारा मुख्यमंत्री उत्कृष्टता एवं सुशासन पुरस्कार के लिए जारी दिशा–निर्देशों के किसी भी प्रावधान में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए इसमें परिवर्तन / परिवर्द्धन / संशोधन किया जा सकेगा।

संलग्नः आवेदन पत्र का प्रारूप।

Signed by Vinod Kumar Suman
Date: 07-06-2023 10:19:17

(विनोद कुमार सुमन),
सचिव।

संख्याः 919 /xxxi(15)G-23/41(सा0)/2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. - समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. - समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3. - मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊँ।
4. - समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. - महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. - निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7. - वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
8. - राज्य सरकार की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. - मीडिया सेन्टर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. - गार्ड फाइल।

/128182/2023

(विनोद कुमार सुमन),
सचिव।